पंचायत आम निर्वाचन, 2026
अतिमहत्वपूर्ण

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

संख्या– प0नि0 30–13/2026...1678
प्रेषक,

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग।

सेवा में,

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
–सह–जिला पदाधिकारी, सारण एवं सिवान।

पटना, दिनांक–22.4.26

विषय :– **पंचायत आम निर्वाचन, 2026–गठित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में वर्ष 2011 की जनसंख्या को दर्शाते हुए प्रपत्र–1 के प्रकाशन के क्रम में आ रही कठिनाईयों के संबंध में।**

प्रसंगः– **जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सिवान के पत्रांक–258, दिनांक–19.04.2026 एवं जिला पदाधिकारी, सारण का पत्रांक–1978, दिनांक–21.04.2026**

महाशय,

निदेशानुसार उर्पयुक्त विषयक सिवान एवं सारण जिले से प्राप्त पत्र के आलोक में प्रपत्र–1 के निर्माण में निम्नलिखित कठिनाईयाँ प्रतिवेदित की गई हैः–

(क) जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सिवान द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वसंतपुर प्रखंड अन्तर्गत ग्राम पंचायत सुर्यपुरा के कुल ग्रामों की जनसंख्या 11380 है जो गजट में प्रकाशित है किन्तु पोर्टल पर प्रदर्शित जनगणना के अनुसार राजस्व ग्रामों की जनसंख्या को जोड़ने पर कुल जनसंख्या 11367 आ रही है।

(ख) सारण जिलान्तर्गत प्रतिवेदित किया गया है कि एक ही वार्ड में दो राजस्व ग्राम की जनसंख्या प्रपत्र–1 में एक साथ अंकित है परन्तु पोर्टल पर अलग–अलग विभाजन करने में परेशानी हो रही है साथ ही कुल जनसंख्या, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में अंतर आने के कारण डाटा प्रविष्टि नहीं हो पा रहा है।

(ग) ग्राम पंचायत सदस्य/ग्राम कचहरी पंच के प्रपत्र–1 में चौहद्दी का उल्लेख नहीं किया गया है।

2. प्रतिवेदित कठिनाईयों की समीक्षा आयोग स्तर पर की गई एवं पाया गया कि ग्राम पंचायत स्तर पर राजस्व ग्राम की कुल जनसंख्या तथा पंचायत की कुल जनसंख्या में अंतर नहीं आ रहा है किन्तु उस जनसंख्या को वार्डों में विखंडित करने के पश्चात राजस्व ग्रामवार मेल नहीं हो रहा है जैसे–ग्राम पंचायत सुर्यपुरा कुल 05 राजस्व ग्राम यथा सुर्यपुरा, जानकी नगर, करहीकलाँ, करही मठिया एवं शामपुर से मिलकर बना है जिसकी कुल जनसंख्या वर्ष 2015 के प्रपत्र–1 (ग्राम पंचायत मुखिया एवं ग्राम पंचायत सदस्य) के अनुसार 11380 है। विभागीय पोर्टल पर वार्ड का जनसंख्या प्रविष्टि करने के क्रम में राजस्व ग्राम शामपुर की जनसंख्या को राजस्व ग्राम सुर्यपुरा में सम्मिलित करते हुए अंकित किया जा रहा है जिसके कारण सुर्यपुरा राजस्व ग्राम की जनसंख्या पोर्टल पर प्रदर्शित जनसंख्या से अधिक हो जा रहा है फलस्वरूप ईंट्री नहीं हो पा रहा है।

Sone Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001, Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax: 0612-2507847| E-mail: secbihar@gmail.com

C:\Users\secbi\OneDrive\Desktop\Other\Prapatra-1.docx

ज्ञातव्य हो कि राजस्व ग्राम सुर्यपुरा से कुल 08 वार्ड बने हुए हैं जिसमें राजस्व ग्राम शामपुर की जनसंख्या भी शामिल है।

अतएव स्थल निरीक्षण करते हुए यह ज्ञात करना होगा कि शामपुर ग्राम के मतदाता किस वार्ड में सम्मिलित हैं उसके अनुसार शामपुर ग्राम की जनसंख्या को उस वार्ड में शामिल करते हुए राजस्व ग्राम का नाम संबंधित वार्ड के साथ संबद्ध किया जाए।

3. इसी प्रकार जिन वार्डों की जनसंख्या में कुल/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में अंतर आ रहा है परन्तु ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या एवं सभी वार्डों की कुल जनसंख्या एक समान है वहाँ पाया गया है कि राजस्व ग्राम से बनने वाले वार्डों में राजस्व ग्राम को दृष्टिपथ नहीं रखे जाने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। इस हेतु संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी राजस्व ग्राम एवं संबद्ध वार्डों की जनसंख्या को जनगणना वर्ष 2011 के आंकडों के अनुसार मिलान कर त्रुटि निराकरण करते हुए त्रुटिरहित प्रपत्र–1 का प्रकाशन करेगें।

4. ग्राम पंचायत सदस्य/ग्राम कचहरी पंच के प्रपत्र–1 में कतिपय जिलों में चौहद्दी अंकित नहीं किया गया है। ध्यातव्य हो कि वर्ष 2015 में प्रकाशित गजट के अनुसार वर्ष 2016 एवं वर्ष 2021 में वार्ड के निर्वाचन कराए जा चुके हैं। इस हेतु संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी क्षेत्र सत्यापन कराते हुए प्रपत्र–1 में सही–सही चौहद्दी अंकित करायेगें।

5. अन्य जिलों द्वारा भी प्रविष्टि के क्रम में आने वाली इसी प्रकार की कठिनाईयों को दुरभाष के माध्यम से आयोग को सूचित किया गया है।

अतएव जिन जिलों में इस प्रकार की कठिनाई आ रही है वे भी उर्पयुक्त निर्देशों के अनुपालन के साथ त्रुटि निराकरण करते हुए त्रुटिरहित प्रपत्र–1 का प्रकाशन करेगें।

विश्वासभाजन

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त

ज्ञापांक– 1678

दिनांक– 22.4.26

प्रतिलिपिः–सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त